M.A.(Education),Part-1,Paper-IV ,
Presented by Dr.Pallavi
Topic- शैक्षिक समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषा (Meaning and Definition of Educational Sociology)

समाज सामाजिक संबंधअॅ का जाल है। सामान्य भाषा में कहे तो सामाजिक सम्बन्धअॅ से बने सामाजिक समूह को समाज कहते हैं। समाजशास्त्रीय भाषा में इसे समाज कहा जाता है। भारतीय समाज इसी प्रकार का एक समाज है । सम्पूर्ण भारत के सम्पूर्ण निवासियअॅ के समूह को भारतीय समाज कहते हैं। लोकतन्त्र शासन प्रणाली में व्यक्ति-व्यक्ति में जाति, धर्म एवं संस्कृति आदि किसी भी आधार पर भेद नहीं करता। इस दृष्टि से भारत का प्रत्येक व्यक्ति भारतीय समाज का अंग है। शिक्षा के संदर्भ में भारतीय समाज का अर्थ भारत की सम्पूर्ण जनसंख्या से होता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि लोकतन्त्रीय भारत में भारतीय समाज का अर्थ उसकी सम्पूर्ण जनसंख्या के
समूह से है। वास्तव में भारतीय समाज विविधताओं का योग है । यहाँ अनेक धर्म, जाति, संस्कृति एवं वर्गों के लोग सामूहिक रूप से निवास करते हैं। राजनैतिक दृष्टि से यह एक लोकतंत्रीय समाज है जिसकी गणना विकासशील देशअॅ में की जाती है। विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में प्रगति के फलस्वरूप भारत में वैज्ञानिक जागरूकता का विकास हुआ है। यही वर्तमान भारतीय समाज को कुछ महत्त्वपूर्ण
विशेषताएँ हैं-

1. विविध जातियाँ

वैदिक युग में भारतीय समाज चार वर्गों में विभाजित था-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शुद्र। इन सभी वर्गों का विभाजन कर्म के आधार पर किया गया था। अध्ययन- अध्यापन एवं यज्ञादि धार्मिक कार्यों का अनुष्ठान करने वाले बाह्मण कहलाते थे ।देश की रक्षा करनेवाले क्षत्रिय , पशुपालन, कृषि, उद्योग एवं व्यापार करने वाले वैश्य और इन तीनअॅ वर्गों की सेवा करने वाले 'शूद्र' कहलाते थे। वैदिक काल के बाद ब्राह्मण काल आया। इस समय वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित न होकर जन्म आधारित हो गई । परिणामस्वरूप भविष्य में अनेक जातियअॅ एवं उपजातियअॅ का जन्म हुआ।

यह जाति प्रथा व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। व्यक्ति जातियअॅ की सीमित सीमा में रीति-रिवाजअॅ का पालन करते हैं । जाति सामाजिक नियन्त्रण एवं सामाजिक परिवर्तन दोनअॅ का कार्य करता है। इस प्रथा का दोष यह है कि जातिय संकीर्णता वर्ग संघर्ष को जन्म देता है तथा राष्ट्रीय एकता में बाधा डालती है ।

2.धार्मिक समूह
भारतीय समाज में अनेक धार्मिक सम्प्रदाय हैं। इनमें से हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई व पारसी सम्प्रदाय प्रमुख है। इनमें भी अनेक उपसम्प्रदाय हैं, जैसे-हिन्दुओं में सनातनी, आर्य समाजी, बौद्ध और सिक्ख आदि, मुस्लिमअॅ में शिया, सुन्नी और अहमदिया आदि।

धर्म हमें पशु से मनुष्य बनाता है, परन्तु धार्मिक संकीर्णता, धार्मिक संघर्ष एवं साम्प्रदायिक दंगअॅ को भी जन्म देती है।

3. सांस्कृतिक विविधता

भारतीय संस्कृति धर्म एवं दर्शन पर आधारित है । भारतीय संस्कृति चार वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र), चार आश्रम (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास), चार पुरुषार्थ (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष), चार साधन मार्ग (ज्ञान, कर्म, भक्ति और योग). पंचमहाव्रत (सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य), पाँच नियम (शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और प्राणिधान) को संस्कृति है। भारत में अनेक विदेशियअॅ का आगमन हुआ । जिनमें मुगल, फ्रांसीसी, अंग्रेज आदि शामिल हैं। इन सभी लोगअॅ की सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव भारतीय संस्कृति पर अत्यन्त गहराई से पड़ा है।

संस्कृति प्रत्येक समाज को पहचान होती है। व्यक्ति जिस समाज के बीच पैदा होता है, उसी संस्कृति को अपनाता है। जब मनुष्य केवल अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानता है और दूसरी संस्कृति को हेय समझता है तो वर्ग संघर्ष शुरू होता है। भारत ने सभी संस्कृतियॅ को
अपनाया है। अत: यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता है।

4.लोकतांत्रिक शासन प्रणाली

भारतीय समाज ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को स्वीकार किया है। भारतीय लोकतन्त्र या सिद्धातॅ का आधारित ---स्वतन्त्रता, समानता, भ्रातृत्व, न्याय, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। भारतीय संविधान इन विशेषताओं से युक्त है।

5. कृषि प्रधान एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था

हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में दो प्रकार की अर्थव्यवस्था है। एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, दूसरी-मिश्रित अर्थव्यवस्था। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से राष्ट्रीय आय की प्राप्ति अत्यंत कम होती है जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था ने हमारे देश अमीर व गरीब के बीच की खाई को बहुत गहरा कर दिया है। आर्थिक दृष्टि से भारतीय समाज तीन बर्गों में विभाजित हुआ दिखता है--उच्च, मध्यम और निम्न । निम्न वर्ग में गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले लोगॅ की संख्या हमारे देश में बहुत अधिक है। जनसंख्या वृद्धि और रोजगार के अवसरॅ को क होने के कारण बेरोजगारी में तेजी से वृद्धि हो रही है। मुद्रास्फीति की दर एवं महगाई निरन्तर बढ़ रही है।

6. वैज्ञानिक जागरूकता

हमारे देश ने विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में बहुत विकास किया है। इस विकास के फलस्वरूप समाज में वैज्ञानिक जागरूकता बढ़ी है। इसके फलस्वरूप कृषि एवं उद्योगॅ में वैज्ञानिक तकनीकी के प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि हुई है। खाधान को दृष्टि से आत्मनिर्भर बना है। अनेक वस्तुओं के उत्पादन एवं निर्यात में वृद्धि हुई है।

इन विशेषताओं के अतिरिक्त नव भारत के निर्माण हेतु भारतीय संविधान द्वारा जो क्रान्तिकारी परिवर्तन लाए गए हैं, वे निम्नलिखित है

धारा 25 (1)"राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, कुल या वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी एक आधार पर अन्तर नहीं करेगा।"

धारा ।7---"अस्पृश्यता समाप्त की जाती है और इसका किसी भी रूप में व्यवहार निषिद्ध है ।"अस्पृश्यता " के कारण किसी प्रकार की अयोग्यता का प्रचलन कानून के अनुसार दण्डनीय अपराध होगा ।"
धारा 38--"राज्य एक सामाजिक व्यवस्था, जिसमे न्याय-सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक-राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे,भरसक कार्य साधक रूप में स्थापना तथा सुरक्षित करके लोक कल्याण की उन्नति का प्रयत्न करेगा ।"
धारा 39----(क) "राज्य सभी नागरिकॅ को अर्थात पुरूषॅ और महिलाओं को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्रदान करेगा ।

(ख)""राज्य आर्थिक व्यवस्था को इस प्रकार चलाएगा, जिससे धन और उत्पादन के साधनॅ का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी केन्द्रण न हो सके।"

(ग) "राज्य पुरुषॅ और स्त्रियॅ दोनॅ को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करने के लिए व्यवस्था करेगा।"

धारा 40-"राज्य ग्राम पंचायतअॅ का संगठन करेगा तथा उन्हें ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा जो उनको स्वायत्त शासन को इकाइयअॅ के रूप में कार्य करने के योग्य बना सके।"

धारा 41"राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार यथाशक्ति काम पाने, शिक्षा पाने तथा बेकारी, बुढ़ापा, बीमार और अंग हानि तबा अन्य अनर्ह अभाव को दशाओं में सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का कार्य-साधक उपलब्ध करेगा।

धारा 43--"-राज्य ग्रामअॅ में कुटीर उद्योगअॅ को वैयक्तिक तथा सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा ।"
धारा 45- "राज्य सम बालकअॅ को चौदह वर्ष की अवस्था की समाप्ति तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगा।"

धारा 46"राज्य जनता के दुर्बलता विभागअॅ के, विशेषतया अनुसूचित जातियअॅ तथा अनुसूचित आदिम जातियअॅ के शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितअॅ की विशेष सावधानअॅ से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा।"

नव भारत ने उक्त राज्य नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक अधिकारअॅ के आधार पर एक नवीन सामाजिक व्यवस्था को जन्म है। भारत ने गाँधीवादी समाज व्यवस्था के आधार स्वतन्त्र तथा ग्रामीण समाज को ग्रहण किया। वहाँ नेहरू जी की समाजवादी व्यवस्था के आधार औद्योगीकरण को ग्रहण करने के लिए कदम उठाए गए हैं ।

नव भारत ने समाज के विभिन्न ष्पअॅ से सम्बन्धित कानून बनाकर उसको प्रभावित किया है। यह परिवर्तन निम्न रूप में परिलक्षित होता है--

1. अस्पृश्यता का अंत

2. बहुविवाह की समाप्ति

5. जागीरदारी तालुकेदार व जमींदारी प्रथा का अन्त

4. विभिन्न सामाजिक सम्बन्धअॅ में परिवर्तन

5 स्त्रियअॅ की हीन दशा में सुधार

6. जाति प्रथा का विघटन

7. प्रान्तीयता, भाषा सम्बन्धी और धार्मिक मतभेदअॅ का धीरे-धीरे हास।

उपयुक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि प्राचीन समय में जातियअॅ ने भारतीय समाज को एक निश्चित रूप प्रदान किया था । परन्तु समय के साथ जाति व्यवस्था लचीली होती चली गयी। स्वतन्त्र समाज ने अपने संविधान द्वारा इसको बदलने का प्रयास किया है। भारतीय संविधान का उद्देश्य-भारत में प्रजातांत्रिक समाज की स्थापना करना है ता भारतीय समाज इस ओर अर्गसर हो रहा है।

3.2 भावी समाज की संकल्पना, संविधान में निहित आधार जनतंत्र

सामान्यतः जनतंत्र का अर्थ शासन की एक प्रणाली से होता है जिसमें जनता अपना शासन स्वयं चलाती है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं । जनतंत्र का अंग्रेजी पर्याय डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा के डेमोस (Demos) तथा केटिक (Cratic) दो शब्दअॅ से मिलकर बना है। डेमो का अर्थ है 'शक्ति' और क्रेटिक का अर्थ है 'जनता'। इस प्रकार डेमोक्रेसी का अर्थ जनता की शक्ति होता है। राजनैतिक दृष्टि से जिस शासन में जनता की शक्ति सर्वोपरि होती है, उसे जनतन्त्र कहते हैं। प्रस्तुत है जनतन्त्र संबंधी कुछ महत्त्वपूर्ण विचार

अब्राहम लिंकन (Abraham Lincoln)-" जनतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन, जनता द्वारा और जनता के लिए होता है।"Democracy is the Government of the people, by the people and for the people."

अरस्तु"बहुत से लोगअॅ द्वारा बनाई गई सरकार लोकतन्त्र है।"

जॉन डीवी "लोकतांत्रिक सरकार के एक स्वरूप से कहीं अधिक है। यह मुख्यतः सह संयुक्त संचारित अनुभव का साथ-साथ रहने का एक ढंग है।"

राधाकृष्णन कमेटी के अनुसार-"लोकतंत्र केवल राजनीतिक व्यवस्था नहीं बल्कि जीवन जीने का एक ढंग है। यह जाति, धर्म, लिंग, व्यवसाय या आर्थिक परिस्थितियअॅ के भेदभाव रहित अपने सदस्यअॅ के लिए समान स्वतन्त्रता और समान अधिकार के सिद्धान्त पर आधारित है।"

3.3 शिक्षा में जनतान्त्रिक विचारधारा

शिक्षा का जनतान्त्रिक आदर्श सृजनात्मक आदर्श है। इस व्यवस्था में गणतन्त्र और मानवता के लिए जनमानस तैयार किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति की यह प्रतिबद्धता हो जाती है कि वह व्यवहार, अनुभव व कौशल में विकासात्मक परिवर्तन लाए। स्वः के साथ-साथ अन्य का भी उन्नयन करने वाला व्यक्ति तैयार करना शिक्षा का लक्ष्य होता है।

हुमायूँ कबीर के अनुसार-"यदि जनतन्त्र को सचमुच प्रभावशाली होना है एवं प्रत्येक व्यक्ति को अपने पूर्ण गारण्टी देना है तो शिक्षा को सार्वभौमिक तथा निःशुल्क होना चाहिए।"

जनतान्त्रिक शिक्षा के उद्देश्य

1. जनतंत्रीय नागरिकता का विकास।
2. जीवनयापन की कला का विकास ।

३ सच्ची देशभक्ति की भावना का विकास।

4. व्यावसायिक कुशलता का विकास।

5. व्यक्तित्व का विकास।

6, नेतृत्त्व के लिए शिक्षा।

जनतान्त्रिक विचारधारा अपनाने के फलस्वरूप शिक्षा जगत् में निम्नलिखित परिवर्तन परिलक्षित हो रहे हैं-----

1. शिक्षा में जाति, सम्प्रदाय और वर्ग के बंधन टूट रहे हैं।

2. बालक के व्यक्तित्व का महत्त्व बढ़ा है।

3. शिक्षा मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का संवैधानिक अधिकार है ।

4. एक निश्चित अवधि में नि:शुल्क, अनिवार्य एवं सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है।

5. प्रौढ़ शिक्षा की ओर ध्यान दिया जा रहा है।

6. शैक्षिक अवसरअॅ की समानता प्रदान की जा रही है।

7. शिक्षाक्रम में बालकअॅ को अधिकाधिक स्वतंत्रता प्रदान की जा रही है।

8. पाठ्यक्रम को विस्तृत, लचीला एवं समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया गया है ।

9 अध्यापक के व्यक्तित्व का जनतंत्र में महत्त्व है।

10. कक्षा शिक्षण में जनतंत्र के सिद्धान्तअॅ का पालन किया जाता है ।

11. कक्षा में सामाजिक अनुभव प्रदान किए जाएं। सीखने में सामाजिक त्त्वअॅ का विशेष महत्त्व है।

12, किसी भी प्रकार के नियमअॅ को छात्रअॅ पर थोपे न जाएँ बरन् छात्रअॅ के सहयोग एवं उनकी मानसिकता को प्यान में रखते हुए नियमअॅ को बनाया जाए ताकि वे उन नियमअॅ को स्वेच्छा से स्वीकार कर सकें।

13. विद्यालय का वातावरण इतना सहयोगपूर्ण हो कि छात्र उसमें रुचि लें ताकि अनुशासनहीनता की समस्या उत्पन्न न हो।

इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का कहना है कि "लोकतन्त्र अभिपुष्टि करता है कि प्रत्येक व्यक्ति जीवन क अद्वितीय प्रोद्यम है। शिक्षा का कार्य मनुष्यअॅ और चीजअॅ के वास्तविक जगत् पर बल में प्रत्येक व्यक्ति की क्षमताओं के ज्ञान हेतु इस प्रोध का मार्गदर्शन करना है। दूसरअॅ पर पूर्ण निर्भरता से बच्चे के सापेक्ष निर्भरता में विकसित होना है।"

जॉर्ज पैने के अनुसार व्यक्तित्व का विकास व्यक्ति पर पड़ने वाले सामाजिक प्रभावअॅ और उसके सामाजिक वातावरण से अनुकूलन का द्योतक होता है। उत्तम सामाजिक अनुकूलन तभी संभव है जब व्यक्ति को अपने ऊपर पड़ने वाले विभिन्न सामाजिक प्रभावअॅ और क्रियाओं का पूर्ण ज्ञान हो और यह केवल शिक्षा के माध्यम से ही संभव हो सकता है। इस प्रकार शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा का वह अंग है जो व्यक्ति पर सामाजिक वातावरण के प्रभावअॅ का अध्ययन करके शिक्षा में सामाजिकता के समावेश द्वारा व्यक्तित्व का विकास का प्रयत्न करता है। ओटवे के मतानुसार शिक्षा एक सामाजिक क्रिया है और इसकी विधि और इसका लक्ष्य समाज विशेष को मान्यताओं के अनुसार होता है। जॉन डयूवी ने व्यक्ति की सामाजिक चेतना को शैक्षिक विकास का आधार माना है। ब्राउन ने भी जॉन से ही मिलती-जुलती परिभाषा दी है। उनके मतानुसार समूह को सामाजिक चेतनता में व्यक्ति का योगदान ही शिक्षा की उपलब्धि है।

उपर्युक्त विभिन्न परिभाषाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि शैक्षिक समाजशास्त्र, समाजशास्त्र को ही भांति, व्यक्ति और समूह के पारस्परिक सम्बन्धअॅ को प्रभावित करने वाली सभी सामाजिक परिस्थितियअॅ का गहन अध्ययन करता है । परन्तु साथ ही वहां के शिक्षा सम्बन्धी महत्त्व पर भी प्रकाश डालता है। इसे कुछ उदाहरणअॅ द्वारा और भी स्पष्ट किया जा सकता है। समाज के सभी सदस्यअॅ को शिक्षित करना सामाजिक दायित्व माना गया है, किन्तु इस अनिवार्य सामाजिक दायित्व का निर्वहन एवं सम्पूर्ण साक्षर

करने संबंधी समस्या का समाधान मात्र अधिकाधिक विद्यालय या महाविद्यालय प्रारम्भ करने से नहीं हो सकता। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को समाज में मूल्यवान योगदान के लिए समर्पित होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से शिक्षा की पद्धति, पाठ्यक्रम और अन्य कार्यक्रमअॅ को समाज की मांग के अनुसार बनाने की आवश्यकता होती है। शैक्षिक समाजशास्त्र, शिक्षा औरस्पष्ट किया सकता है। समाज के सभी सदस्यअॅ को शिक्षित करना सामाजिक दायित्व माना गया इस अनिवार्य सामाजिक दायित्व का निर्वहन एवं सम्पूर्ण करने संबंधी समस्या का समाधान मात्र विद्यालय महाविद्यालय प्रारम्भ करने से नहीं हो सकता। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को समाज मूल्यवान लिए समर्पित होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से शिक्षा की पद्धति, पाठ्यक्रम और अन्य को समाज मांग अनुसार बनाने की आवश्यकता होती है। शैक्षिक समाजशास्त्र, शिक्षा और समाज के मध्य एक माध्यम जो एक और विभिन्न सामाजिक प्रवृत्तियअॅ, सामाजिक संगठनात्मक व्यवस्थाओं और सामाजिक समस्याओं अध्ययन करके शिक्षा की पद्धति, और अन्य के निर्धारण में सहायता करता है, तो दूसरी समाज शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाओं को विकसित और उचित मार्ग पर प्रवाहित करते हुए उसे पूर्ण रूप बनाकर सामाजिक विकास के पथ को प्रशस्त करता है। इस प्रकार शैक्षिक समाजशास्त्र का योगदान समाज दोनअॅ के लिए है। शिक्षा व्यवस्था कैसी हो, उसकी पद्धति क्या हो और उसका पाठ्यक्रम यह एक सामाजिक समस्या है। यह शास्त्र, समाज की शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति शिक्षा माध्यम समाज के विकास को देता है और तदनुसार भी करता
है।